प्रखण्ड कार्यालय रामुपर (कैमूर)

जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) आदेश ज्ञापांक–3082/गो0,दिनांक–06.12.2014 के आलोक में आज दिनांक–10.01.2015 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय कें पदाधिकारियों के साथ आयोजित साप्ताहिक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी में सपोषित है।

प्रस्ताव संख्याः–1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी विकास मित्र को जानकारी दी गई कि जितने भी महादलित परिवार योजना से वंचित है उनको संबंधित पंचायत के विकास मित्र योजना दिलाने का कार्य करेगें। एवं बिहार सरकार के निदेशानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति परिवार के सदस्यों का अपने स्तर से सर्वे कर प्रतिवेदन प्रखण्ड कार्यालय में 25 जनवरी 2015 तक जमा करना सुनिश्चित करेगें। ताकि सर्वे किये गये उक्त महादलित परिवारों का राशन कार्ड बनाने हेतु सरकार को प्रतिवेदित किया जा सकें। **(अनुपालनः– सभी विकास मित्र)**

प्रस्ताव संख्याः–2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामपुर द्वारा बताया गया कि जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रसव लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाना है के आदेश के अलोक में लाभार्थी को शून्य राशि के तहत खाता खोलवानें में देरी होने के कारण भुगतान करने में असुविधा हो रही है इस लिए बैंक को सिधें सूचित किया जाये कि अविलम्ब बैंक में उनकी खाता खोल सकें। **(अनुपालनः– सभी शाखा प्रबंधक प्रखण्ड रामपुर)**

प्रस्ताव संख्याः–3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रसायनिक खाद की कालाबजारी रोकने के लिए प्रखण्ड स्तर पर निगरानी की जा रही है। जिससें ग्रामीण जनता को कोई परेशानी न हो। पंचायतवार किसान सलाहकार को खाद वितरण में प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रस्ताव संख्याः–4. सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हमारे कार्यालय में कर्मियों की संख्या बढ़ गई है। एक कमरा होने के चलते कार्यालय में बैठने एवं कार्य करने में असुविधा हो रही है। कार्यालय हेतु एक और कमरा उपलब्ध कराया जाय ताकि एक कमरा में पुरानी संचिकाओं को सुरक्षित रखा जाय एवं एक कमरे में कर्मियों द्वारा बैठकर कार्यो का सुचारू रूप से संचालित किया जा सकें।

प्रस्ताव संख्याः–5. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालयों में पोशान छात्रवृति वितरण की जा रही है। वर्ग 3 से 5 तक की बच्चों की राशि अभी शिक्षा समिति के खातें प्राप्त नही हुई है। जिसके चलते अभी तक वितरण नहीं किया गया है। एवं प्रखण्ड शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन 22 दिसम्बर से 21 जनवरी 2015 तक काउन्टर खोलकर बी0आर0सी0 भवन रामपुर में जमा किया जा रहा है।

प्रस्ताव संख्याः–6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत स्तरीय कार्यो की समिक्षा की गई। पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं का ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण जिला स्तर पर प्रतिवेदन अपूर्ण भेजा जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रभारी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ससमय सभी पंचायतों का निरिक्षण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिचित करें और जिला द्वारा मॉगे गये सभी तरह के प्रतिवेदन को ससमय अनुपालन कर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें।

14.1.15

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रामपुर।
14-1-2014

ज्ञापांक 41 / **दिनांक** 14-1-2015

प्रतिलिपिः– सभी विकास मित्र/शाखा प्रबंधक प्रखण्ड रामपर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) (गोपनिय शाखा) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14.1.15

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रामपुर।
14-1-2014